

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2025—अश्विन 18, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अति. प्रभार आबकारी आयुक्त को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग.

बेवरेजेस कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2025

File No. Rule/96/2025-PRD.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 के नियम-5 अनुसार छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

स. क्र.	सदस्यों का नाम
1.	श्री हिमांशु द्विवेदी-प्रधान सम्पादक, हरिभूमि, रायपुर
2.	श्री यशवंत गोहिल-संपादक (डिजीटल) दैनिक भास्कर, रायपुर
3.	श्रीमती रश्मि ड्रोलिया-वरिष्ठ संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया, रायपुर
4.	श्री सुशील अग्रवाल-सिटी चीफ क्रानिकल, रायपुर
5.	श्री अजयभान सिंह-वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर
6.	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी-कार्यकारी संपादक विस्तार न्यूज, रायपुर
7.	श्री विश्वेश ठाकरे-सम्पादक, IBC-24 टी.वी. चैनल, रायपुर
8.	श्री संजीव गुप्ता-राज्य ब्यूरो प्रमुख, पी.टी.आई., रायपुर
9.	श्री विजय त्रिपाठी-संपादक, जशपुरांचल, जशपुर
10.	श्री मनीष गुप्ता-स्थानीय संपादक, पत्रिका, जगदलपुर
11.	श्री सुनील गुप्ता-स्थानीय संपादक, नई दुनिया, बिलासपुर

2. छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2025

File No. Rule/8/29/2025-PRD.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम, 2019 के नियम 5 अनुसार राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों का निम्नानुसार गठन करता है :—

स. क्र.	राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति
1.	श्री राजेश जोशी, संपादक, नवभारत, रायपुर
2.	श्री सतीश श्रीवास्तव, संपादक, नई दुनिया, रायपुर
3.	श्री हर्ष पांडेय, स्थानीय संपादक, भास्कर रायपुर
4.	श्री अरूण उपाध्याय, संपादक, स्वदेश, बिलासपुर
5.	श्री अनिल रतेरिया, सम्पादक, इस्पात टाइम्स, रायगढ़
6.	श्री पवन दुबे प्रधान, सम्पादक, चैनल इंडिया, जगदलपुर
7.	श्री सूरज बुद्धदेव, सम्पादक, दैनिक दावा, राजनांदगांव
8.	श्री जी. पी. तिवारी, सम्पादक, अम्बिकावाणी, अम्बिकापुर
9.	श्री अभिषेक शुक्ला, समाचार संपादक, न्यूज 18, रायपुर
10.	श्री मोहन तिवारी, संवाददाता, TV-24 रायपुर

स. क्र.	संभागीय अधिमान्यता समिति, रायपुर
1.	श्री प्रवीण पाठक, वरिष्ठ संवाददाता, नवभारत, रायपुर
2.	डॉ. राकेश पाण्डेय, विशेष संवाददाता, दैनिक भास्कर, रायपुर
3.	श्री आशीष तिवारी, स्थानीय संपादक, लल्लूराम डॉटकाम, रायपुर
4.	श्री नीरज बाजपेयी, जिला प्रतिनिधि, नवभारत, बलौदाबाजार
5.	श्री जितेन्द्र सतपथी, जिला प्रतिनिधि, पत्रिका, महासमुन्द्र
6.	श्री गोरेलाल सिन्हा, जिला प्रतिनिधि, हरिभूमि, गरियाबंद
7.	श्री विशाल सिंह ठाकुर, संवाददाता, विजन न्यूज सर्विस, धमतरी
8.	श्री वरूण श्रीवास्तव, सहकार्यकारी संपादक, आईबीसी 24, रायपुर
9.	डॉ. अवधेश मिश्रा, स्थानीय संपादक, बी.एस.टी.वी., रायपुर
स. क्र.	संभागीय अधिमान्यता समिति, दुर्ग
1.	श्री सुनील गुप्ता, संपादक, चिंतक, दुर्ग
2.	श्री टी. सूर्यराव, ब्यूरो प्रभारी, नई दुनिया, दुर्ग
3.	ओम दुवानी, संवाददाता, हरिभूमि, बालोद
4.	श्री अशोक पाण्डेय, संपादक, नादगांव टाइम्स, राजनांदगांव
5.	श्री शशांक तिवारी, सहसंपादक, सबेरा संकेत, राजनांदगांव
6.	श्री अवधेश त्रिपाठी, ब्यूरोचीफ, नवभारत, मोहला-मानपुर-चौकी
7.	श्री ईश्वर कुम्भकार, ब्यूरोचीफ, स्वतंत्र स्वर, कबीरधाम
8.	श्री आनंद ओझा, संवाददाता, INH-24 टी.वी. चैनल, दुर्ग
9.	श्री राहुल साहू, संवाददाता, बंसल न्यूज टी.वी. चैनल, बेमेतरा
स. क्र.	संभागीय अधिमान्यता समिति, बिलासपुर
1.	श्री ढाल सिंह पारधी, सम्पादक, पत्रिका, बिलासपुर
2.	श्री देवेन्द्र गोस्वामी, संपादक, नवभारत, बिलासपुर
3.	श्री मनोज ब्यास, उप संपादक, दैनिक भास्कर, बिलासपुर
4.	श्री आनंद शर्मा, ब्यूरोचीफ, दैनिक भास्कर, रायगढ़
5.	श्री हेमंत थवाइत, संपादक, केलोप्रवाह, रायगढ़
6.	श्री कृष्ण कुमार राठौर, ब्यूरो प्रमुख, छत्तीसगढ़ वॉच, कोरबा
7.	श्री ज्ञानचंद शर्मा, संवाददाता, हरिभूमि, मुंगेली
8.	श्री सन्दीप करिहार, वरिष्ठ संवाददाता, INH न्यूज टी.वी. चैनल, बिलासपुर
9.	श्री प्रशान्त सिंह, संवाददाता, न्यूज 24 टी.वी. चैनल, जांजगीर
स. क्र.	संभागीय अधिमान्यता समिति, सरगुजा
1.	श्री अनंगपाल दीक्षित, ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया, अम्बिकापुर
2.	श्री विकास पाण्डेय, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, जशपुर
3.	श्री सतीश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, नवभारत, बलरामपुर
4.	श्री उपेन्द्र दुबे, ब्यूरो चीफ, अम्बिकावाणी, सूरजपुर
5.	श्री प्रवीन्द्र सिंह, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, कोरिया
6.	श्री योगेश चंद्र, संवाददाता, पत्रिका, कोरिया
7.	श्री रवीन्द्र थवाइत, ब्यूरोचीफ, नई दुनिया, जशपुर
8.	श्री रमेश शर्मा, संवाददाता, IBC-24 टी.वी. चैनल, जशपुर
9.	श्री दीपक सिंह, संवाददाता, न्यूज 18, टी.वी. चैनल जशपुर

स. क्र.

संभागीय अधिमान्यता समिति, बस्तर

1. श्री विश्वरूप बोस, सम्पादक, दण्डकारण्य, समाचार, जगदलपुर
2. श्री सुरेश रावल, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, जगदलपुर
3. श्री विनोद सिंह, संपादक, बस्तर इम्पैक्ट, दन्तेवाड़ा
4. श्री अभिषेक बैनर्जी, ब्यूरोचीफ, नवभारत, नारायणपुर
5. श्री दीपक शर्मा, ब्यूरोचीफ, नवप्रदेश, कांकेर
6. श्री राजेश शर्मा, ब्यूरोचीफ, दैनिक भास्कर, कांकेर
7. श्री श्याम करकू, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, बीजापुर
8. श्री विकास तिवारी, संवाददाता, एनडीटीवी (म.प्र.छ.ग.), जगदलपुर
9. श्री नरेश मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता, IBC-24 टी.वी. चैनल, जगदलपुर

2. छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/432 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	सकराली प.ह.नं. 28	8.832	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.-1, खरसिया, जिला-रायगढ़	साराडीह बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2025

क्रमांक/11828/भू-अर्जन/2025/202204050400003/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	हरदीबाजार	रामपुर प.ह.नं. 09	0.216	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग, कोरबा (छ.ग.)	जिला कोरबा के रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बालोद छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 28 अगस्त 2025

क्रमांक 230/भू.अ.प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2019-20/2022.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-बालोद
(ग) नगर/ग्राम-बालोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2019/4, 5	0.007
74/4	0.024
योग	0.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद से पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.	5	0.05
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	135	0.07
	306	0.08
कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	307	0.01
	311/1	0.04
	310	0.02
उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 3 सितम्बर 2025	165	0.02
	311/2	0.04
क्रमांक/385/वा./भू.अ./प्र.क्र./202202141400011/अ-82/ 2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	163	0.01
	167	0.03
	योग	10
		0.37
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर		
(ख) तहसील-कांकेर		
(ग) नगर/ग्राम-मोहपुर, प.ह.नं. 28		
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर		
	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कांकेर के कोदाभाट-झुनियापारा-मोहपुर मार्ग के कि.मी. 2/10 हटकुल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु.	
	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा,
जिला-सक्ती (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 29 सितम्बर 2025

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 2110.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1506 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ग्राम-कोसमंदा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	कोसमंदा/30	101/23	0.045
			101/26	0.104
			83/3	0.085
			101/25	0.108
			101/226	0.016
			101/27	0.065
			101/1	0.045
			101/196	0.008
			83/4	0.061
			101/184	0.120
			101/197	0.175
			101/176	0.023
			75/27	0.085
			75/13	0.065
			99	0.004
			75/8	0.075
			75/30	0.227
			83/17	0.040
			75/2	0.016
			75/29	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			75/16	0.041
			76/6	0.069
			78/6	0.004
			76/1	0.024
			78/1	0.029
			78/3	0.060
			78/4	0.073
			77/3	0.004
			78/2, 78/5	0.173
			80/1	0.028
			83/2	0.030
			83/11	0.205
			101/175	0.390
		कुल योग	34	2.501

सक्ती, दिनांक 29 सितम्बर 2025

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 2112.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1512 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-फलियामुड़ा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	फलियामुड़ा/30	61	0.207
			60	0.032
			55/1	0.073
			118/1	0.052
			199/1	0.123
			62/7	0.021
			59/1	0.028
			59/4	0.028
			56	0.091
			57/2	0.141
			55/3	0.061
			118/3	0.061
			116	0.110
			121	0.067
			55/2	0.021
			118/2	0.050
			199/2	0.090
			49/2	0.036
			51/3	0.018
			48/1	0.063
			48/3	0.036
			102/1	0.013
			122/7	0.016
			48/2	0.036
			102/5	0.047
			99/5	0.117
			99/1	0.009
			101	0.012
			100/3	0.156
			100/1	0.168
			102/3	0.018
			117/2	0.125
			117/3	0.130
			117/1	0.075
			120	0.097
			119	0.098

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			122/12	0.101
			125/4	0.016
			197	0.232
			198/4	0.318
			196/2	0.023
			200/1	0.067
			194/4	0.036
			190/8	0.178
			195/3	0.104
			100/4	0.035
			100/2	0.026
			195/4	0.045
		कुल योग	48	3.707

सक्ती, दिनांक 29 सितम्बर 2025

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 2114.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1515 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ग्राम-कांशीडीह, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	कांशीडीह/07	873/1	0.048
			96/2	0.103
			79/1	0.020
			811/2	0.060
			811/1	0.024
			888/2	0.024
			161, 162	0.024
			163/1	0.024
			16/1	0.034
			8/1	0.008
			15/2	0.012
			73, 74	0.049
			72/1	0.040
			63	0.025
			39/1	0.016
			39/4	0.016
			39/3	0.016
			39/2	0.016
			40/2	0.012
			15/3	0.012
			10	0.048
			62	0.018
कुल योग			24	0.649

सक्ती, दिनांक 29 सितम्बर 2025

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 2116.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1518 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ग्राम-मौहापाली, तहसील-डभरा जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	मौहापाली/30	259/2	0.106
			268/22	0.018
			59/4	0.042
			59/2	0.101
			306/2	0.016
			441/9	0.032
			61/2	0.020
			15/2	0.032
			306/1	0.016
			कुल योग	

सक्ती, दिनांक 29 सितम्बर 2025

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 2118.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1521 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-बिलाईगढ़ (प.), तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	बिलाईगढ़ (प.)/10	128	0.144
			130	0.120
			140/1, 140/8	0.192
			200/1	0.012
			263/2	0.020
			196/2	0.061
			196/4	0.040
			196/3	0.021
			242/1	0.008
			199/1	0.021
			196/1	0.024
			194	0.210
			210/1	0.061
			210/3	0.044
			259	0.045
			261/2	0.040
			210/4	0.016
			257	0.040
			210/9	0.012
			253	0.510
			240/2	0.225
			239/1, 239/6	0.090
			233/2	0.020
			239/3	0.084
			239/2, 239/4	0.078
			238	0.020
कुल योग			29	2.158

बालेश्वर राम
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़

कबीरधाम, दिनांक 21 अगस्त 2025

प्ररूप—7

प्रकरण क्रमांक/7118/202508082900030/ब-121/2024-25.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे.

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कवर्धा	छिरहा	22	बम्हनी	संपूर्ण ग्राम	

कबीरधाम, दिनांक 21 अगस्त 2025

प्ररूप—7

प्रकरण क्रमांक/7119/202508082900028/ब-121/2024-25.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे.

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कवर्धा	छिरहा	20	धमकी	संपूर्ण ग्राम	

गोपाल वर्मा,
कलेक्टर एवं
जिला सर्वेक्षण अधिकारी.